न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 137/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 24/11/2025
निर्णय दिनांक – 24/11/2025

अनवान

1. किरण जैन पुत्र धर्मचन्द जाति महाजन निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 508, 961 में प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातें में प्रार्थी का नाम किरण जैन पुत्री धर्मचन्द दर्ज है जिसके स्थान पर किरण जैन पुत्र धर्मचन्द शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 508, 961 में किरण जैन पुत्री धर्मचन्द दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का लसानी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 508, 961 में किरण जैन पुत्री धर्मचन्द के बजाय किरण जैन पुत्र धर्मचन्द दर्ज जाने की अनुशंषा की गई।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 508, 961 में किरण जैन पुत्री धर्मचन्द के स्थान पर किरण जैन पुत्र धर्मचन्द नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तद्नुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द